पं0-08/-क्र0-1381/दि0-17-02-2020

DRC (LS)

15/2/2020

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः121 /XVIII(II)/2019/02(02)/2019
देहरादूनः दिनांक 05 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2020

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2.आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3.आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122, धारा 154, धारा 156 एवं धारा 198 में कतिपय संशोधन किये गये हैं। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–XXXVI(3)/2020/75 (1)2019, दिनांक 15 जनवरी, 2020 द्वारा सर्व साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया है।

अतः उक्त अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–यथोपरि।

(डा0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

Mr. pawan Singh

D.R.C (ग्रामीण)
17.2.2020

क्रम संख्या–04 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 15 जनवरी, 2020 ई0
पौष 25, 1941 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 14/XXXVI (3)/2020/75(1)/2019
देहरादून, 15 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019'** पर दिनांक 13 जनवरी, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 04 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2020)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अधिनियम संख्या 01, वर्ष 1951) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय-समय पर सम्मिलित किये जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा किन्तु अधिनियम की धारा 122-ग की उपधारा (10) एवं धारा 198 की उपधारा (10) सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 122-ग का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 122-ग की उपधारा (9) के पश्चात एक नई उपधारा (10) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-

"(10). दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 49) में परिभाषित "सन्दर्भित दिव्यांगजन" को आवासन के निमित्त भूमि आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा तथा ऐसे आवंटन में संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों को प्राथमिकता दी जायेगी।"

धारा 154 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 154 में-

(क) उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्-

"(2) तत्समय प्रवृत्त भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अन्तरण औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए किसी न्यास, संस्था, कम्पनी, फर्म को किया गया है या एक पंजीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में किया गया है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है अथवा यह कि अन्तरण जन–साधारण के हित में किया गया है तो उपधारा (1) में स्वीकृत सीमा से अधिक अन्तरण करने का अधिकार प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण 1:– इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'कुटुम्ब' का अर्थ है, अंतरिती स्वयं, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा अव्यस्क बच्चे और जहां अंतरिती अव्यस्क है, उस बालक या बालिका के माता–पिता भी।

स्पष्टीकरण 2:– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'अंतरण' से उत्तराखण्ड राज्य के जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग तथा जिला देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड, जिला नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड के अन्तर्गत की भूमि का अतंरण अभिप्रेत है।"

(ख) उपधारा (2–क) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(2–क). तत्समय प्रवृत्त भौमिक अधिकार से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अन्तरण औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण तथा पर्यटन के लिए किसी न्यास, संस्था, कम्पनी, फर्म को किया गया है या एक पंजीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था के पक्ष में किया गया है जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है अथवा यह कि अन्तरण जन–साधारण के हित में किया गया है तो उपधारा (1) में स्वीकृत सीमा से अधिक अन्तरण करने का

अधिकार प्रदान कर सकेगी।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजन के लिए 'अंतरण' से उत्तराखण्ड राज्य के जिला ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार का सम्पूर्ण भू–भाग तथा जिला देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर तथा रायपुर विकासखण्ड, जिला नैनीताल के हल्द्वानी एवं रामनगर विकासखण्ड के अन्तर्गत की भूमि का अंतरण अभिप्रेत है।"

धारा 156 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में–

(क) उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(एक) मूल अधिनियम की धारा 157 (क) तथा धारा 157 (ख) में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कृषि बागवानी, जड़ी–बूटी उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, औषधीय पादपों एवं सुगन्धित पुष्पों, मसालों का उत्पादन, वृक्षारोपण, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन तथा पशुधन प्रजनन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कृषि एवं फल प्रसंस्करण, चाय बागान एवं प्रसंस्करण तथा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसी संस्था, समिति, न्यास, फर्म, कम्पनी एवं स्वयं सहायता समूह को पट्टे पर शर्तें निर्धारित करते हुए पट्टा किराया सहित अधिकतम 30 वर्षों के लिए दिया जा सकेगा। पट्टा किराया में नगद, उपज अथवा उपज के किसी अंश को सम्मिलित किया जा सकेगा।"

(ख) उपखण्ड (ग्यारह) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग्यारह). उपखण्ड (आठ) में वर्णित विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता/पट्टाधारक तीन माह पूर्व का सकारण नोटिस देकर समस्त भार सहित पट्टे को समाप्त कर सकेगा। पट्टे पर दी गयी भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे तथा दोनों पक्षों के पट्टा अनुबन्ध में भूमि के विशिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग किये जाने की वस्तुस्थिति की जॉच की जायेगी तथा वार्षिक आधार पर पट्टागत भूमि की संस्तुति की जायेगी। यदि जिलाधिकारी किसी भी स्थिति में भूमि का समुचित उपयोग न किये जाने पर संतुष्ट नहीं है तो वह भूमि का पट्टा भार सहित समाप्त कर सकेगा। पट्टाधारक द्वारा प्रयोजन की आवश्यकतानुसार अधिकतम 30 एकड़ भूमि पट्टे पर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में 30 एकड़ से अधिक भूमि आवश्यकतानुसार पट्टे पर ली जा सकेगी। यदि

पट्टा भूमि के बीच में सरकारी भूमि है तो वह भूमि जिलाधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से सःशुल्क पट्टे पर आवंटित की जा सकेगी। पट्टाधारक स्थानीय उत्पादों, सब्जियों, दालों तथा परम्परागत फसलों एवं फलोद्यान उत्पाद को प्राथमिकता प्रदान करते हुए स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करायेगा एवं पट्टे पर ली गयी भूमि के उत्पादों पर विकसित उद्योगों में विशेषज्ञ पदों को छोड़कर स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध करायेगा। स्थानीय उत्पादों के वितरण, विक्रय एवं संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया जायेगा।"

धारा 198 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (9) के पश्चात एक नई उपधारा (10) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थातः–

"(10) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 49) में परिभाषित "सन्दर्भित दिव्यांगजन" को कृषि कार्यों के लिए भूमि आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा तथा ऐसे आवंटन में संदर्भित दिव्यांग स्त्रियों को प्राथमिकता दी जायेगी।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

6. (1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

कारण और उद्देश्य

भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–37 में संशोधन करते हुए सन्दर्भित दिव्यांगजन स्त्रियों की समुचित पूर्विकता के साथ सभी सुसंगत योजनाओं और विकास कार्यक्रमों में कृषि भूमि और आवासन के आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

2– दिव्यांगजनों के आवासन हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) की धारा–122(ग)(9) एवं धारा–198(9) के पश्चात एक नई उपधारा 122(ग)(10) तथा 198(10) का अन्तःस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

3– उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिक निवेश, विकास कार्य को बढ़ावा देने एवं राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मैदानी क्षेत्रों हेतु भूमि क्रय की सीमा के प्राविधान घोषित किये जाने संबंधी कतिपय प्राविधानों में पर्वतीय क्षेत्रों में शिथिलता लाये जाने के उद्देश्य से एवं चाय बागान एवं प्रसंस्करण तथा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राविधान विषयक विधेयक लाया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री।

No. 14/XXXVI(3)/2020/75(1)/2019
Dated Dehradun, January 15, 2020

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Act, 2019' (Act No. 04 of 2020).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 13 January, 2020.

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950) (AMENDMENT) ACT, 2019

(Uttarakhand Act No. 04 of 2020)

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Act No. 01 of 1951) (Adaptation and Modification Order, 2001) in the context of the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole of State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in the limits of any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board but sub section (10) of section 122-C and sub section (10) of section 198 shall applicable to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 122-C

2 In Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act,1950) (Adaptation And Modification Order, 2001), (herein after referred to as Principal Act) after sub section (9) of section 122-C a new sub section (10) shall be inserted as follows, namely:-

"(10). Five percent reservations in the allotment of land for housing shall be given to "persons with benchmark disabilities" defined in the rights of persons with disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016) and benchmark disable women shall be given preference in such allotment."

Amendment of Section 154

3. In section 154 of the Principal Act -

(a) sub section (2) shall be substituted as follows, namely—

"(2). Subject to the provisions of any other law relating to the land tenures for the time being in force, the State Government may, by general or special order authorise transfer in excess of the land prescribed in sub-section (1), if it is of the opinion that such transfer is done to any trust, institution, company, firm for industrial purposes, Ayush, Education, Health and Medical Education, Horticulture and various processing, Tourism, Agriculture or in favour of a registered co-operative society or an institution established for a charitable purpose, which does not have sufficient land for its need or that the transfer is in the interest of general public.

Explanation1: For the purposes of this section "family" means transferee himself his/her wife or husband, as the case may be, and minor children and where transferee is minor also the parents of such minor children.

Explanation2: For the purposes of this sub-section 'transfer' means transfer of land in whole area of district Pithoragarh, Uttarkashi, Chamoli, Champawat, Rudraprayag, Bageshwar, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Almora of Uttarakhand State and all other hilly abundance development blocks of district Dehradun except Vikasnagar, Doiwala, Sahaspur and Raipur development blocks and all other hilly abundance development blocks of district Nainital except Haldwani and Ramnagar development blocks of Uttarakhand State."

(b) Sub-section (2-A) shall be inserted as follows, namely-

"(2-A). Subject to the provisions of any other law relating to the land tenures for the time being in force, the State Government may, by general or special order authorise transfer in excess of the land prescribed in sub-section (1), if it is of the opinion that such transfer is done to any trust, institution, company, firm for industrial purposes, Ayush, Education, Health and Medical Education, Horticulture and various processing, Tourism or in favour of a registered co-operative society or an institution established for a charitable purpose, which does not have sufficient land for its need or that the transfer is in the interest of general public.

Explanation – For the purposes of this sub-section 'transfer' means transfer of land in whole area of district Udham Singh Nagar and Haridwar of Uttarakhand State and development blocks of Vikasnagar, Doiwala, Sahaspur and Raipur of District Dehradun and development blocks Haldwani and Ramnagar of district Nainital of Uttarakhand State."

Amendment of section 156

4. In the Principal Act, clause (c) of sub-section (1) of Section 156 –

(a) For sub clause (i) the following sub-clause shall be substituted, namely-

" (i) Without prejudice to the restrictions contained in section 157 (a) and section 157 (b) of the principal Act, the land for the purpose of agriculture, horticulture, production of herbs, unseasonal vegetables, medicinal and aromatic plants, production of spices, tree plantation, animal husbandry and dairy production, poultry farming and livestock breeding, apiculture, pisciculture, agricultural and fruit processing, tea garden and processing and Renewable energy projects may be leased for maximum period of 30 years by fixing terms and conditions with rent to any Institution, Society, Trust, Firm and Company and self help groups. Cash, crops or any share of the crops may be included in lease rent;"

(b) For sub clause (xi), the following sub-clause shall be substituted, namely-

"**(xi).** In special circumstance as mentioned in sub-clause (viii), the lessor/ lessee may cancel the lease by three months prior notice with reasons by paying all encumbrances. The District Magistrate shall act as

an arbitrator in respect of the utilization of the leased land and the actual position of the utilization of land for specific purpose mentioned in lease agreement shall be examined and the leased land shall be recommended on annual basis. If the District Magistrate, in any situation is not satisfied with the optimum utilization of the land, he may cancel the lease of the land with all encumbrances. Maximum 30 acres of land may be taken on lease by the lessee according to the need of the purpose. More than 30 acres of land may be taken on lease as per requirement in special circumstances. If the government land is situated in the middle of the leased land, the land may be allotted with cost on lease by District Magistrate with permission of State Government. The lessee shall provide opportunity of self employment to local residents by giving preference to the local products, vegetables, pulses, traditional crops and orchard produce and shall provide employment to local residents in the Industries developed on the products of the land taken on lease, excluding the specialised posts. The prescribed policy of the State Government shall be followed regarding the distribution, sales and protection of the local products."

Amendment of Section 198 5. In Principal Act after sub section (9) of section 198 a new sub section (10) shall be inserted as follows, namely:-

"(10). Five percent reservations in the allotment of land for agriculture purposes shall be given to "persons with benchmark disabilities" defined in the rights of persons with disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016) and benchmark disable women shall be given preference in such allotment."

Repeal and saving 6. (1) The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Amendment) Ordinance, 2019 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

PREM SINGH KHIMAL,

Secretary.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Government of India has been made 5 parsent reservation for all the proper prioritization of disable women in the allocation of agricultural land, housing schemes and development programms in the section 37 of disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016).

2- For the accomodation of disable person in the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Act No. 01 of 1951) (Adaptation and Modification Order, 2001) after section 122(c)(9) and 198(9) a new sub-section 122(c)(10) and 198(10) is shall be inserted.

3- The purposed Bill shall be brought for to permote industrial investment, development work in the state of Uttarakhand and to accelerate industrial development, the extent of land purchase limits for the plane area certain provisions to declare by bringing relaxation in the mountainous areas of the state of Uttarakhand for the purpose of Tea plantation and processing and Alternative energy projects.

The proposed Bill is the replacement of the above Ordinance and the Bill serves the above purpose.

Trivendra Singh Rawat
Chief Minister.

पी0एस0यू0(आर0ई0) 05 विधायी/31–2020–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।